N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0122 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/05/2025 18:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 20/05/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:05 बजे **Time To (समय तक):** 14:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/05/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/05/2025 18:21:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 90 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE THANA SADARI, JILA PALI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** KAMALESH CHAUDHARY
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** NEMARAM JI
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/07/1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON LATADA, SADRI, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON LATADA, SADRI, PALI, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PADARAM		पिता:NANDARAM	1. GAON BALANA,TAKHATGARH,PALI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

[redacted]

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान जी मे कमलेश चौधरी s/o नेमाराम जी जाति जणवा चौधरी निवासी लाटाडा जिला पाली का निवासी हुं मेरे खिलाफ मेरे समाज के गांव के ही पंचो ने पुलिस थाना सादडी मे मेरे व पक्ष के लोगों के खिलाफ झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जिसकी जांच पुलिस थाना सादडी के पदमाराम जी छोटा थानेदार जी कर रहे है इस जांच के बारे मे मुझे पदमाराम जी ने आज थाने पर बुलाया और का की तेरा मामला यंही पर सलआ दुंगा श्री पदमाराम जी मेरे खिलाफ इस मुकदमे मे कुल पांच आरोपी के नाम की एफआईआर मे रफा दफा करने की एवज मे प्रत्येक व्यक्ति के 5-5 हजार रूपये के हिसाब से कुल 25000/- हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है मै मेरे व पक्ष् के लोगों के खिलाफ रिश्वत के रूपये नही देना चाहता हुं और रिश्वत के रूपये 25000/-हजार लेते हुए रंगे हाथ पकडना चाहता हुं मेरा पदमाराम जी से कोई रूपये व पैसे का लेन देन उधार बाकी नही है मेरी रिपोर्ट पर कारवाई करावे। 15-05-2025 प्रार्थी एसडी कमलेश s/o नेमाराम जी चौधरी निवासी गांव लाटाडा जिला पाली मो० [redacted] कार्यवाही एसीबी दिनांक 15-05-2025 वक्त 02-05 पीएम दर्ज रहे कि आज दिनांक 15-05-2025 को वक्त 09-45 एएम पर ब्यूरो मुख्यालय मे जरिये फोन मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह को ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1064 पर परिवादी श्री कमलेश द्वारा की गई शिकायत के क्रम मे परिवादी से संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर परिवादी श्री कमलेश के मोबाईल नंबर दिये। ब्यूरो मुख्यालय के आदेश की पालना मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री कमलेश के मोबाईल नंबर [redacted] पर संपर्क किया तो परिवादी ने लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि मांगने की शिकायत की तथा इस बाबत रिपोर्ट के लिए ब्यूरो कार्यालय पाली आने मे असमर्थता जाहिर की तथा सादडी कस्बे मे ही मिलने का कहा। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को सादडी कस्बे मे गोपनीय स्थान कस्बे से बाहर देसूरी की तरफ जाने वाली रोड पर मिलने का कहा। परिवादी की शिकायत के क्रम मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मण दान सउनि व श्री सतपाल कानि न 294 मय कार्यालय हाजा का सरकारी डिजिटल वायस रिकार्डर व एक नया खाली मैमोरी कार्ड कार्यालय हाजा का लेपटॉप प्रिन्टर हमराह लेकर जरिये निजी वाहन से पाली मे वक्त 12-05 पीएम पर सादडी के लिए रवाना होकर वक्त 01-54 पीएम पर सादडी कस्बे के बाहर देसूरी रोड पर पहुंचा तथा परिवादी श्री कमलेश से संपर्क किया तो परिवादी नियत स्थान पर कुछ समय पश्चात परिवादी अपनी मोटरसाईकिल सहित उपस्थित आया तथा परिवादी ने एक लिखित रिपोर्ट मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि मै कमलेश चौधरी पुत्र श्री नेमाराम जी जाति जणवा चौधरी निवासी लाटाडा जिला पाली का निवासी हुं मेरे खिलाफ मेरे समाज के गांव के ही पंचो ने पुलिस थाना सादडी मे मेरे व पक्ष के लोगों के खिलाफ झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जिसकी जांच पुलिस थाना सादडी के पदमाराम जी छोटा थानेदार जी कर रहे है इस जांच के बारे मे मुझे पदमाराम जी ने आज थाने पर बुलाया और का की तेरा मामला यंही पर सलटा दुंगा श्री पदमाराम जी मेरे खिलाफ इस मुकदमे मे कुल पांच आरोपियों के नाम की एफआईआर मे रफा दफा करने की एवज मे प्रत्येक व्यक्ति के पांच पांच हजार रूपये के हिसाब से कुल 25000/-हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है मै मेरे पक्ष् के लोगों के खिलाफ झुठे मुकदमे मे रिश्वत के रूपये नही देना चाहता हुं और रिश्वत के रूपये 25000/-रूपये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुं मेरा पदमाराम जी से कोई रूपये व पेसों का लेनदेन उधार बाकी नही है मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करावे। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से पुछताछ की तो परिवादी ने रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के बारे मे बताते हुए बताया कि दो ढाई महीने पहले मेरे गांव के ही बाबुलाल मोटाराम मोडाराम ने मेरे साथ मारपीट की थी जिसकी मैने एफआईआर इन लोगों के खिलाफ पुलिस थाना सादडी मे करवाई थी जिसकी जांच भी श्री पदमाराम जी एएसआई ही कर रहे है अब इस बाबुलाल व मोटाराम ने मिलकर कोर्ट के इस्तगासे से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जिसकी जांच भी श्री पदमाराम जी एएसआई ही कर रहे है। परिवादी ने दोनो प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसका भी अवलोकन किया तो परिवादी के तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी कि रिपोर्ट एवं बताये तथ्यों पर एक लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि मांग करने से संबंधित होने से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आने से प्रथमत रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने के संबंध मे समझाईस की गई। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि श्री पदमाराम जी ने मुझे फोटो लेकर आने का कहा था तो घर से फोटो लाने है उसके बाद उनसे मिलने जाउंगा साथ ही बाताया कि उन्होने मुझे रूपये भी लेकर आने का कहा था तो इनको कुछ रूपये आज पहले देने पडेंगे।

जिस पर परिवादी को उसके बताये अनुसार फोटो लाने व संदिग्ध लोकसेवक को कुछ रूपये पहले मांग सत्यापन के समय देने बाबत घर से लाने के लिए रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहयान के कस्बा सादडी से बाहर गोपनीय स्थान पर मुकीम रहे। परिवादी की रिपोर्ट के क्रम मे हालात उच्चाधिकारीयों को निवेदन किये जिस पर रिपोर्ट के क्रम मे रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन के लिए निर्देशित किया। तत्पश्चात समय- 04-45पीएम पर परिवादी श्री कमलेश उपरोक्त फिकरा का गया हुआ फोटो लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सादडी कस्बे से बाहर बाली रोड की तरफ मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया तथा बताया कि मै मेरे गवहो के आधार कार्ड व फोटो व उनको देने के लिये 3000/-रूपये भी लेकर आया हूं। साथ् ही बताया कि अभी थोडी देर पहले श्री पदमाराम जी का फोन आया था तथा मुझे थाने ही बुलाया है। मै थाने जाउंगा तब उनसे मेरे काम की एवज मे उनके द्वारा मांगी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे मे वार्ता कर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा लूंगा तथा उनके द्वारा मेरे से पहले आज दिन मे मांगी गई रिश्वत राशि मे से 3000/-रूपये आज उनको दूंगा। परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध लोक सेवक ने परिवादी को थाने बुलाया है जिस पर रिश्वत राशि का गोपनीय सत्यापन करवाने के लिए डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड के श्री सतपाल कानि को सुपुर्द कर परिवादी व सतपाल कानि का आपस मे परिचय करवाकर दोनेा के मोबाईल नंबर आपस मे आदान प्रदान करवाये। तत्पश्चात सतपाल कानि डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड सहित परिवादी की मोटरसाईकिल मे परिवादी के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन के लिए पुलिस थाना सादडी की तरफ रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मण दान एएसआई वंही रोड पर गोपनीय रूप मे अपनी उपस्थिती छुपाते हुए मुकीम रहे। तत्पश्चात समय- 05-18 पीएम पर परिवादी श्री कमलेश व सतपाल कानि उपरोक्त फिकरा के गये हुए बाद गोपनीय सत्यापन के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आये श्री सतपाल कानि ने डिजिटल वायस रिकार्डर बंद हालात मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। तत्पश्चात बताया कि निर्देशानुसार मै व परिवादी रिकार्डर लेकर आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना सादडी से थोडा पहले रूके जहां पर मैने गोपनीय रूप से डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर परिवादी को दिया तथा मांग सत्यापन के लिए पुलिस थाना सादडी के लिये रवाना किया तथा मै मेरी उपस्थिती छुपाते हुए थाने के बाहर ही गोपनीय रूप से खडा रहा। मैने परिवादी को पुलिस थाने मे जाते हुए देखा। कुछ समय पश्चात परिवादी थाने से बाहर आकर मेरे पास आया तथा चालू हालात मे रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तत्पश्चात वहां से रवाना होकर आप के पास आये। तत्पश्चात पास ही खडे परिवादी ने भी कानिस्टेबल सतपाल की बताई बात को स्वीकारते हुए बताया कि मै रिकार्डर लेकर पुलिस थाने गया तब श्री पदमाराम जी थाने मे ही मिले उन्होने मेरे खिलाफ मुकदमे को रफा दफा करने से संबंधित बात व मुकदमे मे एफआर लगाने की एवज मे रूपये की मांग की तथा मैने रूपयों के बारे मे पूछा तो उन्होन कितने लाया है के बारे मे पूछा तो मैने कहा कि तीन हजार रूपये है मेरे पास और वो तीन हजार मैने उनके दिये तो उन्होने साथ ही देने का कहा तथा मेरे व मेरे पक्ष के लोगो के खिलाफ दर्ज मुकदमे मे कुल पांच व्यक्तियों के नामजद आरोपी होने से प्रत्येक व्यक्ति के तीन तीन हजार रूपये के हिसाब से कुल पंद्रह हजार रूपये रिश्वत की राशि देना तय हुआ। उन्होने मुझे मुकदमे मे मेरे पक्ष के गवाहों के आधार कार्ड लेकर गवाही करवाने के लिए परसों आने का कहा है। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर रिकार्ड वार्ता सुनी तो वार्ता मे रिश्वत राशि मांग करने के तथ्य पाये गये तथा परिवादी के बताये कथनों की पुष्टि हुई। रिकार्डर पुन बंद कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा। परिवादी श्री कमलेश को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रिश्वत मे दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने व एसओ द्वारा संपर्क करने पर सूचना के बारे मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात समय- 05-40 पीएम पर परिवादी श्री कमलेश को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ व परिवादी की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के निजी वाहन से सादडी से पाली के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 07-25 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया गोपनीय कार्यवाही से संबंधित परिवादी की रिपोर्ट व कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात व रिश्वत राशि मांग सत्यापन रिकार्डशुदा वार्ता का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के बंद हालात मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित रखा। दिनांक- 16-05-2025 को समय- 11-05 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे से निकालकर चालू कर उस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटौप मे सेव कर रिकार्ड वार्ता को सुन सुन कर वार्ता के शब्दो का टंकण कम्प्युटर के माध्यम से करने के लिए श्री सतपाल कानि को निर्देशित किया गया तथा मूल मेमोरी कार्ड मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय 01-10 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के निर्देशानुसार श्री सतपाल कानि ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का टंकण कर टंकण की प्रति की हार्ड कापी प्रिंट निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टंकणीय शब्दो का मिलान रिकार्ड वार्ता से किया जाकर टंकण की साफट कापी लैपटाप मे सेव रखवाई गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता गवाह व परिवादी की उपस्थिती मे टंकणिय शब्दों को मिलान कर फर्द तैयार कि जावेगी। इस गोपनीय कार्यवाही मे गवाह की आवश्यकता होने से व आगामी दिनों

शनिवार व रविवारिय राजकीय अवकाश होने से तहसीलदार पाली के नाम तहरीर जारी कर गवाह की तलबी हेतु श्री पूनाराम कानि को भेजा गया। तत्पश्चात समय - 01-45 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का गया हुआ श्री पूनाराम कानि तहसील कार्यालय पाली से गवाह उपलब्ध करवाने के आदेश तहसील कार्यालय से लेकर हाजिर आया जिस पर आदेशित गवाहों को फोन कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के लिए पाबंद किया गया। ततपश्चात समय 04-25 पीएम पर पाबंदशुदा गवाह तहसील कार्यालय से उपस्थित आये गवाह का परिचय प्राप्त करने पर श्री इंद्रदास राजबोहरा पुत्र श्री सुखराम राजबोहरा जाति बावरी उम्र 35 साल निवासी डाक्टर भीमराव अंबेडकर स्कुल वाली गली अशोक नगर चांदना भाकर जोधपुर हाल भू अभिलेख निरीक्षक पाली जिला पाली मोबाईल नंबर [redacted] व श्री वाजिद मोहम्मद पुत्र श्री खालिद मोहम्मद जाति सिपाही मुसलमान उम्र 45 साल निवासी 33 भूरेसा बाबा की दरगाह के पास जंगीवाडा पाली हाल कनिष्ट सहायक तहसील कार्यालय पाली मोबाईल नंबर [redacted] होना बताया तत्पश्चात गवाहों को मुख्यालय नही छोडने के लिए पाबंद कर अपनी अपनी सकूनत को रवाना किया। दिनांक 19-05-2025 समय 11-30 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री कमलेश से संपर्क किया तो परिवादी श्री कमलेश ने बताया कि श्री पदमाराम जी एएसआई साहब ने मुझे शाम को पांच छ बजे पुलिस थाना बुलाया है तथा मै आज मेरे पक्ष के गवाहों को लेकर पुलिस थाना जाउंगा। परिवादी की सूचना के क्रम मे आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतू गवाहों को कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के लिए जरिये टेलीफोन सूचित किया गया। तत्पश्चात समय- 12-05 पीएम पर पाबंद शुदा गवाह श्री इंद्रदास राजबोहरा व श्री वाजिद मोहम्मद कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये । तत्पश्चात समय 12-35 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिह हमराह स्वतंत्र गवाह श्री इंद्रदास राजबोहरा व श्री वाजिद मोहम्मद एवं ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई, श्री कुलदीप सिह कानि न 299, श्री सतपाल कानि नंबर 294 व श्री पुनाराम कानि मय कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर, नया मेमोरी कार्ड, लैपटाप, प्रिंटर, कागज रिम, इस कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात, रिश्वत राशि मांग सत्यापन से संबंधित मूल मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप बाक्स लेकर जरिये सरकारी वाहन बोलेरो के कार्यालय हाजा से सादडी के लिए रवाना हुआ तथा कार्यालय हाजा पर शेष् स्टाफ को कार्यालय हाजा मे ही आगामी आदेश की पालना मे स्टेंदु रहने के लिए पाबंद किया गया। तत्पश्चात समय 02-15 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त हमराह यान के सादडी कसबे के बाहर देसूरी की तरफ जाने वाली रोड पर पहुंचा तथा परिवादी श्री कमलेश को उक्त स्थान पर पहुंचने के लिए सूचित किया तो परिवादी ने अपने गांव लाटाडा से शीघ्र ही पहुंचना बताया। तत्पश्चात समय 03-00 पीएम पर पाबंदशुदा परिवादी उपस्थित आया। परिवादी श्री कमलेश चौधरी व हमराह गवाह श्री इंद्रदास राजबोहरा एवं श्री वाजिद मोहम्मद का आपस मे परिचय करवाया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा दिनांक 15-05-2025 को दी गई रिपोर्ट गवाहान को पढाई गई एवं दिनांक 15-05-2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाई गई थी उस वार्ता को लेपटाप के माध्यम से सुनाया गया। दोनो गवाहों ने परिवादी की रिपोर्ट को पढा तथा रिकार्ड शुदा मांग सत्यापन वार्ता को सुन कर परिवादी से पुछताछ कर तमल्ली कर परिवादी की रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमती देते हुए परिवादी की रिपोर्ट पर दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 03-40 पीएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाना शेष होने से उक्त रिकार्डिंग वार्ता को पूर्व मे शब्द ब शब्द टंकण करवाया जा चुका है जो कार्यालय हाजा के लेपटाप मे सेव है उक्त टंकणिय शब्दो का मिलान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रारंभ किया गया । जो वक्त 04-50 पीएम तक फर्द ट्रांसक्रिप्ट अलग से तैयार कर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। रिकार्डिंग वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड मे कम्प्युटर के माध्यम मे दो डब मेमोरी कार्ड तैयार किये। मांग सत्यापन के मूल मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यु निकाली गई तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने का प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) (सी) के तहत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मूल मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली मे शील्ड किया गया तथा डब मेमोरी कार्ड को खुली हालत मे रखा जाकर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित रखा। ततपश्चात समय 04-55 पीएम पर परिवादी श्री कमलेश को श्री पदमाराम से संपर्क करने का कहा तो कमलेश ने बताया कि मुझे पदमाराम जी ने फोन करने का मना किया है तथा मेरा फोन वो उठायेंगे नही मै घर जाकर किसी अन्य फोन से पदमाराम जी से संपर्क करूंगा व मिलने के बारे मे पुछुंगा। परिवादी के बताये अनुसार परिवादी को श्रीपदमाराम की लोकेशन ज्ञात करने के लिए रवाना किया गया तत्पश्चात समय 06-15 पीएम पर परिवादी श्री कमलेश ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को फोन कर बताया कि पदमाराम जी से पुलिस थाने जाकर मिला तो उन्होने मुझे गवाह लेकर पुलिस थाना आने का कहा है। मै पुलिस थाने से बाहर आकर मेरे गांव के लिए रवाना हुआ तब वो मेरे पीछे पीछे मेरे गांव वाली रोड तक आये तथा मेरे बारे मे कहां जाने की जानकारी लेकर वापस चले गये है अब मै यदि सादडी कस्बे के आस पास कंही मिला तो वो शायद ड्युटी मे घुमते हुए मुझे देख सकते है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को सादडी कस्बे से बाहर मुंडारा गांव से आगे बाली की तरफ सादडी थाना हल्का से बाहर गोपनीय स्थान पर बुलाया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहयान के सादडी कस्बे से बाली की तरफ रवाना हुआ। ततपश्चात समय 06-45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहयान के सादडी थाना हल्का से बाहर बाली कस्बे की तरफ जाने वाली रोड पर गोपनीय स्थान पर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री कमलेश भी बताये अनुसार उपस्थित

आया। परिवादी ने पूर्व के बताये हालात बताये तथा बताया कि अब रात्री हो गई है और इस समय मेरे पक्ष् के गवाह को घर से लाना भी संभव नही होने से मै अपने पक्ष् के गवाह लेकर कल सुबह ही श्री पदमाराम जी से मिलने जाउंगा उस समय ही वो मेरे से तय की गई रिश्वत राशि लेंगें। ततपश्चात समय 08-20 पीएम पर उपरोक्त फिकरा मे परिवादी द्वारा बताये तथ्यों पर सहमत होते हुए परिवादी के बताये अनुसार ही कल दिनांक को ही आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी को गोपनीयता बरतने की आवश्यक समझाईस कर कल सुबह जल्दी उसके गांव के आस पास ही गोपनीय स्थान जहां पर बिजली पानी की व्यवस्था हो उस स्थान पर मिलने के लिए पाबंद कर रवाना किया व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहयान के हमराह लाये उपकरण एवं कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात व जब्तशुदा मालखाना आईटम के गोपनीय स्थान से कार्यालय हाजा पाली के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 09-45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा उपरोक्त हमराहयान के व उपरोक्त फिकरा के दस्तावेजात व जब्तशुदा वजह सबुत, लेपटाप, प्रिंटर, ट्रेप बाक्स रिकार्डर सहित कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात व जब्तशुदा वजह सबूत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित रखे तथा ब्यूरो स्टाफ व गवाहान को सुबह जल्दी 06-00 एएम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के लिए पाबंद कर अपनी अपनी सकूनत के लिए रवाना किया गया। दिनांक 20-05-2025 को समय 06-25 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरो स्टाफ कार्यालय हाजा पर उपस्थित है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिह हमराह स्वतंत्र गवाह श्री इंद्रदास राजबोहरा व श्री वाजिद मोहम्मद एवं ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएमआई श्री कुलदीप सिह कानि नंबर 299 श्री सतपाल कानि नंबर 294 व कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मन नया मेमोरी कार्ड लेपटाप प्रिंटर कागज रिम ट्रेप बाक्स विडियो रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात लेकर एवं कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि के नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा मालखाने से श्री पुनाराम कानि से निकलवाकर पुनाराम को ही सुपुर्द कर प्लास्टिक की एक थैली मे पैक करवाकर हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन बोलेरो से कस्बा सादडी की तरफ रवाना हुआ तथा शेष ब्यूरो स्टाफ श्री चेनप्रकाश पुलिस निरीक्षक श्री गोविंदवर्मा एएसआई श्री भवानी सिह हैड कानि व श्री प्रमोद सिह कानि को पुलिस निरीक्षक के निजी वाहन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पीछे पीछे ही कस्बा सादडी आने के लिए निर्देशित किया गया। ततपश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा पूर्व तयशुदा निर्धारित स्थान परिवादी के गांव लाटाडा के आस पास गोपनीय स्थान जहां पर बिजली पानी की व्यवस्था है वहां पहुंचा जहां पर पूर्व निर्देशानुसार परिवादी श्री कमलेश उपस्थित मिला। कार्यवाही हेतू हमराह अन्य वाहन जिसमे ब्यूरो स्टाफ है जिसे सादडी कस्बे से बाहर बाली रोड की तरफ आगामी आदेश तक मुकीम रहने के लिए निर्देशित किया गया। ततपश्चात समय 07-45 पीएम पर परिवादी श्री कमलेश चौधरी को स्वतंत्र गवाह के रूबरू आरोपी श्री पदमाराम सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 15000/- रूपये पेश करने का कहा तो परिवादी ने पांच-पांच सौ रूपये भारतीय प्रचलित मुद्रा के कुल 30 नोट कुल राशि 15000/-रूपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नंबर निम्नानुसार है। क्रम संख्या नोट का विवरण नोट के नंबर का विवरण 01 एक पांच सौ रूपये का नोट 2UW 834794 02 एक पांच सौ रूपये का नोट 9DU 680304 03 एक पांच सौ रूपये का नोट 1NM 841642 04 एक पांच सौ रूपये का नोट 9EM 546467 05 एक पांच सौ रूपये का नोट 2KN 871697 06 एक पांच सौ रूपये का नोट 9GB 896623 07 एक पांच सौ रूपये का नोट 9TA 173759 08 एक पांच सौ रूपये का नोट 3DR 778605 09 एक पांच सौ रूपये का नोट 7AM 431763 10 एक पांच सौ रूपये का नोट 5AM 837725 11 एक पांच सौ रूपये का नोट 1KG 426190 12 एक पांच सौ रूपये का नोट 1CG 296680 13 एक पांच सौ रूपये का नोट 9SC 186341 14 एक पांच सौ रूपये का नोट 6HU 204970 15 एक पांच सौ रूपये का नोट 9AU 458109 16 एक पांच सौ रूपये का नोट 0BP 762803 17 एक पांच सौ रूपये का नोट 6UD 754204 18 एक पांच सौ रूपये का नोट 8PG 688580 19 एक पांच सौ रूपये का नोट 0TW 939597 20 एक पांच सौ रूपये का नोट 7GF 953456 21 एक पांच सौ रूपये का नोट 5PQ 377589 22 एक पांच सौ रूपये का नोट 5PQ 377588 23 एक पांच सौ रूपये का नोट 9GB 198774 24 एक पांच सौ रूपये का नोट 9GB 198775 25 एक पांच सौ रूपये का नोट 8GQ 953523 26 एक पांच सौ रूपये का नोट 4VT 809217 27 एक पांच सौ रूपये का नोट 0HD 861582 28 एक पांच सौ रूपये का नोट 1RP 968625 29 एक पांच सौ रूपये का नोट 7DB 968118 30 एक पांच सौ रूपये का नोट 6FR 518299 कार्यालय हाजा से हमराह आये श्रीपुनाराम कानि न 165 को ब्यूरो कार्यालय से रवाना होने से पूर्व फिनोफथलीन पाउडर का डब्बा सुपुर्द किया गया था जो पुनाराम द्वारा अपने पास से निकालकर उपरोकत सभी नोटो को पुराने अखबार पर रखवाया जाकर श्री पुनाराम कानि न 165 से उपरोक्त प्रत्येक नोटों पर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया परिवादी श्री कमलेश की जामा तलाशी गवाह श्री वाजिद मोहम्मद कनिष्ट सहायक से लिवाई जाकर परिवादी श्री कमलेश चौधरी के पास कोई आपतिजनक राशि वस्तु एवं दस्तावेज इत्यादी नही रहने दिये गये तथा परिवादी श्री कमलेश चौधरी को उसका मोबाईल व आधार कार्ड व उसके फोटो उसके पास रहने दिया गया। तत्पश्चात फिनोफथलीन पाउडर युकत रिश्वत राशि 15000/- रूपये परिवादी श्रीकमलेश चौधरी के पहने हुए पेंट के आगे की बांयी जेब मे पुनाराम कानि से ही रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई की रिश्वत राशि को रास्ते मे हाथ नही लगावे तथा आरोपी श्री पदमाराम एएसआई

द्वारा मांगने पर ही उसे अपनी जेब से निकाल कर देवे। राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नही मिलावे। अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोड कर नमस्कार/ अभिवादन करे साथ ही परिवादी श्री कमलेश को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी पदमाराम एएसआई द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात व इस राशि को कहा रखता है या छुपाता है इस बात का विशेष ध्यान रखे। उक्त राशि पदमाराम द्वारा प्राप्त करने के पश्चात मन खींव सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल [redacted] पर काल या मिस काल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स मे से प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास मे साफ पानी भरवाकर उस गिलास मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर धोल तेयार कर गवाह व परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरिन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन घोल मे श्री पुनाराम कानि के हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरिन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया । सभी हाजरिन को समझाईस की गई की आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कोर्बोनेट के घोल मे हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर के मिश्रण की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे मे सभी को भली भांती समझाया गया। तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल का बाहर फिकवाया जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोटो को फिनोफथलीन पाउडर लगया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्रीपुनाराम कानि को फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा सुपुर्द कर आगे की कार्यवाही से अलग रखा गया समस्त ट्रेप पार्टी के के सदस्यों के हाथ व ट्रेप कार्यवाही हेतू उपयोग मे लिए जाने वाले सामान आदि को साफ पानी एवं साबुन से दो दो बार धुलवाया जाकर पुन ट्रेप बाक्स मे रखा गया तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस मे जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु/दस्तावेजात व राशि आदि नही रहने दी गई। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व ब्यूरो दल एवं स्वतंत्र गवाह ने अपना अपना मोबाईल अपने अपने पास रखे। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली रिश्वत राशि लेन देन को देखने व वार्ता सुनने का प्रयास करे। रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री पुनाराम कानि को कार्यवाही से अलग रखते हुए आवश्यक हिदातय कर फिनोफथलीन पाउडर के डिब्बे सहित बाली कस्बे की तरफ रवाना किया गया। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि व द्रष्टांत फिनोफथलीन पाउडर सोडियम कार्बोनेट तैयार की जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय- 08-30 एएम पर परिवादी ने बताया कि मै पहले मेरे पक्ष के गवाहों को थाने पहुंचने के लिए उनको पहचान पत्र व फोटो सहित थाने के लिए रवाना करने अपने गांव लाटाडा जाउंगा उसके बाद मै थाने जाउंगा जिस पर परिवादी को उसके मोटरसाईकिल से गांव लाटाडा के लिए रवाना कर सादडी कस्बे मे पहुंच कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से संपर्क करने के पश्चात ही पुलिस थाने मे जाने के लिए निर्देशित किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहियान ट्रेप पार्टी सहित लाटाडा गांव से सादडी कस्बे के लिए रवाना हुआ तथा शेष ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी वाहन सहित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सादडी आने हेतु निर्देशित किया गया तत्पश्चात समय 09-30 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा हमराहयान ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित सादडी कस्बे मे पुलिस थाने के आगे से दरगाह जाने वाली रोड पर रूका जहां पर निर्देशानुसार शेष ट्रेप पार्टी के सदस्य भी बताये स्थान पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आये। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्य दोनेा वाहनो मे गोपनीय स्थान पर मुकीम रहे । कुछ समय पश्चात परिवादी कमलेश भी बताये स्थान पर उपस्थित आया। परिवादी श्री कमलेश को पुन गोपनीय ईशारे की समझाईस की गई। तत्पश्चात समय- 10-00 एएम पर परिवादी श्री कमलेश को रिश्वत राशि लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड करने के लिए कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर जिसमे नया मेमोरी कार्ड डालकर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाना सादडी की तरफ रवाना किया। परिवादी के पीछे पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र गवाह श्री इंद्रदास राजबोहरा व श्री कुलदीप सिह कानि के रवाना हुआ तथा अन्य ट्रेप पार्टी के सदस्यों श्री लक्ष्मण दान एएसआई श्री सतपाल कानि स्वतंत्र गवाह श्री वाजिद मोहम्मद को व इनके पीछे श्री चेनप्रकाश पुलिस निरीक्षक व श्री भवानी सिह हैड कानि को रवाना होने के लिए निर्देशित कर समस्त ट्रेप पार्टी क्रमवार पुलिस थाना सादडी के इर्द गिर्द उपस्थिती छुपाते हुए गोपनीय ईशारे के इंतजार मे मुकीम रहने के लिए निर्देशित किया। श्री चेनप्रकाश के निजी वाहन को एकांत मे खडा करवाया गया तथा सरकारी बोलेरो वाहन श्री प्रमोद सिह कानि व श्री गोविंद वर्मा एएसआई को सुपुर्द कर वाहनों मे आवश्यक सामग्री सहित अग्रिम आदेशों की पालना तक मुकीम रहने के लिए निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समय 12-21 पीएम पर परिवादी श्रीकमलेश चौधरी ने पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया परिवादी का ईशारा मिलते ही ईशारा के इंतजार मे मुकीम श्री लक्ष्मण दान एएसआई ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत राशि आदान प्रदान होने का ईशारा किया साथ ही अन्य ब्यूरो स्टाफ जो वाहनों मे अग्रिम आदेश की पालना मे मुकीम थे जिनको भी वाहनों सहित पुलिस थाना सादडी मे शीघ्र ही पहुंचने के निर्देश दिए। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री भवानी सिह हैड कानि स्वतंत्र गवाह श्री इंद्रदाम राजबोहरा को हमराह लेकर पुलिस थाना परिसर से बाहर गोपनीय स्थान मे रवाना होकर थाना परिसर मे पहुंचा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ ही अन्य ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई स्वतंत्र गवाह श्री

वाजिद मोहम्मद श्री सतपाल कानि श्री चेनप्रकाश पुलिस निरीक्षक श्री कुलदीप सिह कानि अपने अपने गोपनीय स्थान से रवाना होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साथ ही पुलिस थाना परिसर मे प्रवेश हुए जहां पर परिवादी श्री कमलेश उपस्थित मिला जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूर्व मे दिया हुआ डिजिटल वायस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा तथा थाना परिसर के दाहिने तरफ बने स्वागत कक्ष के पीछे स्टाफ मैस के आगे एक वर्दीधारी व्यक्ति व अन्य थाना स्टाफ खडे हुए मिले जिसे हमराह ब्यूरो स्टाफ ने श्री पदाराम एएसआई को दस्तयाब किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यो सहित स्टाफ मैस के आगे पहुंचा तथा मैस के आगे खडे वर्दीधारी व्यक्ति से नाम पुछने पर उसने अपना नाम पदाराम एएसआई होना बताया जिसको परिवादी श्री कमलेश से अभी अभी ली गई रिश्वत राशि के बारे मे पुछा तो बताया कि मेरे पहनी हुई वर्दी के पेंट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हुए है। तत्पश्चात श्री पदाराम एएसआई ट्रेप पार्टी के सामने गिडगिडाने लगा कि साहब गरीब आदमी हुं गलती हो गई मुझे फसाया गया है तत्पश्चात श्री पदाराम एएसआई को तसलली देकर दोनो हाथ कलाई के उपर से ब्यूरो स्टाफ श्रीचेनप्रकाश पुलिस निरीक्षक व श्री कुलदीप सिह कानि से पकडवाकर थाना परिसर मे ही बने स्वागत कक्ष् मे लेकर आये जहां पर श्री पदाराम द्वारा स्वास्थ्य खराब होने व बीपी का मरीज होने का कहने पर तसल्ली दी गई तत्पश्चात थाने मे मौजुद स्टाफ से इस कार्यवाही के लिए अग्रिम कार्यवाही हेतू एक कक्ष् उपलब्ध करवाने का कहने पर उन्होने थानाधिकारी कक्ष उपलब्ध करवाया। तत्पश्चात थाना परिसर के स्वागत कक्ष से श्रीपदाराम एएसआई को दोनो हाथ पूर्वानुसार ब्यूरो स्टाफ के पकडवाये हुए ही लेकर थानाधिकारी के कक्ष मे आया। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स व विडियो रिकार्डर मंगवाया जाकर अग्रिम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए इस कार्यवाही की विडियोग्राफी हेतू श्री सतपाल कानि को निर्देशित कर कार्यालय हाजा का विडियो रिकार्डर जिसमे नया मेमोरी कार्ड डालकर विडियो रिकार्डर चालू करवाया गया तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहयान एवं स्वतंत्र गवाह का परिचय देतु हुए आने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए दस्तयाब शुदा वर्दीधारी एएसआई को उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम पदाराम पुत्र श्री नंदाराम उम्र 57 साल जाति मीणा निवासी गांव बलाना पुलिस थाना तखतगढ तहसील सुमेरपुर जिला पाली हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस प्रभारी पुलिस चौकी लाटाडा पुलिस थाना सादडी जिला पाली होना बताया। श्री पदाराम एएसआई को उसकी वर्दी पर लगी नेमप्लेट पर पदमाराम नाम लिखा होने के बारे मे पुछा तो बताया कि मेरी नेमप्लेट गलत बन गई थी इस कारण पदमाराम नाम से ही लगी हुई है जबकि रिकार्ड मे मेरा नाम पदाराम ही है। तत्पश्चात कमलेश चोधरी की तरफ ईशारा कर कमलेश को पहचानने के बारे मे पुछा तो श्रीपदाराम एएसआई ने बताया कि हां मै इसे जानता हुं यह कमलेश चौधरी लाटाडा का निवासी है जिसके खिलाफ इस थाने मे मुकदमा दर्ज है जिसकी तफतीश मै कर रहा हुं यह आज इसके मुकदमे मे गवाही करवाने आया था तथा इसने मुझे रूपये दिये है जो मेरे पहने हुए पेंट के पीछे की दाहिनी जेब मे है तत्पश्चात उपस्थित परिवादी ने बताया कि इन्होने आज मुझे गवाह लेकर बुलाया था जिसके लिए मै मेरे गवाह लेकर थाने आया तब ये किसी डयुटी मे बाहर गये थे तथा डयुटी से थाने आये तब मुझे बुलाया तो मै थाने मे इनके पास आया तथा इन्होने मेरे गवाहों के बयान लिए व पहचान पत्र की फोटो प्रतिया व फोटो मांगे जो मैने व मेरे गवाहों ने इनको दिए इनहोने मेरे गवाहों के खाली पेज पर हस्ताक्षर करवाये उसके बाद मुझे साथ लेकर थाने के मैस मे ले गये जहां पर इन्होने मेरे से रिश्वत राशि तय की गई थी वो मांगी तो मैने मेरे पास से रिश्वत राशि 15000/- रूपये निकालकर दिए जो इन्होने मेरे से लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखे तथा इन्होने पहले भी मेरे से 7000/-रूपये लिए थे तत्पश्चात प्रक्रिया अनुसार हाथ धोवन की कार्यवाही मौके पर ही प्रारंभ करते हुए हमराह लाये ट्रेप बाक्स मे से प्लास्टिक के बडे पारदर्शी डिस्पोजल दो गिलास निकालकर उसमे पीने का साफ पानी भरवाया गया उक्त् दोनो गिलास मे एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त गिलास के घोल मे काई परिवर्तन नही आया जिसे उपस्थित गण ने रंगहीन होना स्वीकार किया ततपश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल अलग अलग गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री पदाराम एएसआई के अलग अलग हाथ की अंगुलिया व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित गण ने भी हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया उक्त दोनो हाथ के धोवन को कांच की अलग अलग चार शीशियों मे आधा आधा भरवाया जाकर सील चीट कर चीटों पर अलग अलग हाथ का विवरण व प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क RH-1 RH-2 LH-1 व् LH-2 अंकित किया गया तथा चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर चारो शीशियों को कब्जा एसीबी लिया गया तत्पश्चात श्री पदाराम एएसआई की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री वाजिद मोहम्मद कनिष्ट सहायक से लिवाई गई तो श्री पदाराम एएसआई के वक्त वाका पहनी हुई वर्दी की पेंट के पीछे की दाहिनी जेब मे एक नोटो की गडडी पाई गई जिसे बाहर निकलवाया जाकर नोटो को गिनाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के कुल तीस नोट राशि 15000/- रूपये होना पाई गई जिस पर पूर्व मे तैयार फर्द पेशकशी की प्रति दूसरे गवाह श्री इंद्रदास राजबोहरा को सुपुर्द कर नोटो के नंबरो का मिलान करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाह ने नोटों के नंबरों का फर्द पेशकशी के अनुसार मिलान किया तो नोटो के नंबर मुताबिक फर्द के हुबहु पाये गये। बरामद शुदा रिश्वत राशि 15000/- रूपये को कागज के एक लिफाफे मे डालकर उक्त लिफाफे को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्का R अंकित किया गया थैली पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री पदाराम

एएसआई की जामा तलाशी मे बरामद शुदा रिश्वत राशि के अलावा अन्य कोई राशि व दस्तावेजात नही मिले तत्पश्चात श्री पदाराम एएसआई के वक्त वाका पहनी हुई वर्दी के पेंट के पीछे की दाहिनी जेब मे रिश्वत राशि बरामद होने से उक्त वर्दी के पेंट के बरामदगी स्थल जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री पदराम एएसआई के पहनने के लिए अन्य कपडों की व्यवस्था कर कपडे पहनाये गये तथा वर्दी को उतरवाया गया। तत्पश्चात प्लास्टिक के बडे पारदर्शी डिस्पोजल एक गिलास मे पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त गिलास के घोल मे कोई परिवर्तन नही आया जिसे उपस्थित गण ने रंगहीन होना स्वीकार किया तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे श्री पदराम एएसआई के वक्त वाका पहनी हुई वर्दी के पेंट के पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर रंगहीन गिलास के घोल मे डुबो डुबो कर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिस उपस्थित गण ने भी गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया उक्त धोवन को कांच की साफ दो शिशियों मे आधा आधा भरवाया जाकर मील चीट कर चीट पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्का P-1 P -2 अंकित किया गया तथा चीटों पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर धोवन की शिशियों को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात श्री पदाराम एएसआई के पहनी हुई वर्दी की उक्त पेंट की जेब को सुखाकर जेब के अंदर की तरफ संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वर्दी की पेंट को सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्का P अंकित किया जाकर थैली पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिए गये। तत्पश्चात पदाराम एएसआई को परिवादी श्री कमलेश चौधरी के मुकदमे की पत्रावली के बारे मे पुछा तो स्वागत कक्ष की टेबल पर होना बताया जिसपर थानाधिकारी को प्रकरण की पत्रावली प्रस्तुत करने के बारे मे कहा तो थानाधिकारी ने प्रकरण की पत्रावली पेश की मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तो परिवादी श्री कमलेश चौधरी के विरूदध दर्ज प्रकरण संख्या 78/2025 दिनांक 15-04-2025 जो न्यायालय के माध्यम से परिवादी कमलेश चौधरी व अन्य आरोपी कल्लाराम कपूरराम किशन भैराराम के विरूदध अन्तर्गत धारा 191(2) 351 115 324(1) 3(5) बीएनएस मे दर्ज होना पाया गया पत्रावली मे कुल 50 पेज होना पाये गये पत्रावली के पहले व अंतिम पेज पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये पत्रावली मे पेज संख्या एक से छ तक न्यायालय की आदेशिका व न्यायालय द्वारा प्रेषित रिपोर्ट। पेज संख्या सात दस्तावेजात सूची पेज संख्या आठ से दस तक बाबुलाल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पेज संख्या ग्यारह थानाधिकारी द्वारा न्यायालय को प्रेषित पत्र पेज संख्या बारह से तेरह केस डायरी। पेज संख्या चौदह से इक्कीस तक गवाहों के बंध पत्र व फोटो पहचान पत्र । पेज संख्या बाईस बाबुलाल द्वारा मेडिकल नही करवाने का पत्र। पेज संख्या तेबीस से छबबीस गवाहों के पहचान पत्र की फोटो प्रतियां। पेज संख्या सताईस खाली पेज बाबुलाल के हसताक्षर किये हुए। पेज संख्या अठाईस मे ईक्तीस तक अपराध विवरण व घटना स्थल नक्शा मौका। पेज संख्या बत्तीस व तेतीस गवाहों के फोटो पहचान पत्र। पेज संख्या चौतिस मे तैयालिस खाली पेज जिसके नीचे गवाहो के हस्ताक्षर किये हुए। पेज संख्या चव्वालिस से अडतालिस तक गवाहों के बंध पत्र। व पेज संख्या उनचास से पचास तक गवाहों के रफ बयान लिखे होने पाये गये। प्रकरण की इस मूल पत्रावली को थानाधिकारी को पुन लौटाई जाकर पत्रावली की फोटो प्रतियां प्रमाणितशुदा प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 44/2025 के बारे मे मालुमात किया तो प्रकरण का अनुसंधान पुर्ण होकर चार्जशीट माननीय न्यायालय मे पेश करना लंबित पाया गया। तत्पश्चात अब तक के एकत्रित साक्ष्यों से श्री पदाराम सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी के विरूदध दर्ज प्रकरण मे एफआर लगाने व मदद करने के एवज मे पूर्व मांग सत्यापन के दौरान तय शुदा रिश्वत राशि 15000/-रूपये प्राप्त किये जो दौराने कार्यवाही श्री पदाराम एएसआई के कब्जे से बरामद होने से आरोपी का उक्त क्रत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री पदाराम एएसआई को जरिये फर्द गिरफतार कर फर्द गिरुफतारी विधिक प्रावधानानुसार तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। ततपश्चात समय 04-50 पीएम पर परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाह की उपस्थिती मे रिश्वत राशि लेन देन की घटना स्थल का नजरी नक्शा मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। ततपश्चात समय- 05-10 पीएम पर दर्ज रहे की मौका स्थल आरोपी के विभागिय स्थल होने से व्यवधान को मध्य नजर रखते हुए मौके पर संपादित की जाने वाली कार्यवाही संपादित कर आगे की कार्यवाही के लिए अन्यत्र स्थान बाली डाक बंगले मे करने का निर्णय लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित एवं गिरफतार शुदा आरोपी श्री पदाराम सहायक उप निरीक्षक व कार्यवाही से संबंधित जब्त शुदा समस्त वजह सबूत एवं दस्तावेजात हमराह लाये गये कार्यालय हाजा के उपकरण एवं ट्रेप कार्यवाही से संबंधित आवश्यक सामग्री सहित इस कार्यवाही से संबंधित अग्रिम कार्यवाही बाली स्थित सरकारी डाक बंगला मे संपादित करने का निर्णय लेकर पुलिस थाना सादडी से बाली डाक बंगला के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 05-40 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त हमराहयान एवं उपरोक्त फिकरा मे वर्णित सामग्री उपकरण दस्तावेजात जब्तशुदा वजह सबुत लेकर बाली स्थित सरकारी डाक बंगला मे पहुंचा जहां पर डाक बंगला प्रभारी सहायक अभियंता से एक रूम की व्यवस्था करवाकर रूम खुलवाया गया तत्पश्चात उस रूम मे मुकीम रहकर इस कार्यवाही मे संबंधित अग्रिम कार्यवाही करना संपादित किया गया। समय- 06-40 पीएम पर रिश्वत राशि लेन देन के समय रिकार्ड हुई वार्ता डिजिटल वायस रिकार्ड मे

रिकार्ड है जो तत समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कर अपने कब्जे मे रखा हुआ था। इस लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तेयार करने हेतू परिवादी श्री कमलेश चौधरी व दोनो गवाहान की उपस्थिती मे श्री सतपाल कानि से डिजिटल वायस रिकार्डर को कार्यालय के लैपटाप से कनेक्ट करवाकर साफटवेयर की मदद से लैपटाप के इनबिल्ड स्पीकर से सुन सुन कर समझ समझ कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता तैयार करना शुरू किया गया। समय- 07-30 पीएम पर गिरफतार शुदा आरोपी श्री पदाराम एवं ट्रेप दल के सदस्यों के लिए खाना पानी की व्यवस्था कर खाना खिलाया गया। समय- 09-00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही की हाथ धोवन कार्यवाही एवं रिश्वत राशि बरामदगी कार्यवाही की विडियोग्राफी कार्यालय हाजा के विडियो रिकार्डर से करवाई गई थी उक्त विडियो रिकार्डर मे से मूल मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड की हैस वेल्यु निकाली तथा मेमोरी कार्ड के दो डब/ कापी मेमोरी कार्ड तैयार किये जाकर खुली हालात मे रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली मे डालकर जरिये फर्द जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया जिमकी फर्द जब्ती अलग से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात गिरफतार शुदा आरोपी श्री पदाराम एएसआई के स्वाम्थ्य परीक्षण राजकीय चिकित्सालय बाली से करवाया जाकर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक- 21-05-2025 समय- 02-20 एएम रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना वक्त 06-40 पीएम पर शुरू किया गया था जो रूबरू गवाहान एवं परिवादी के श्री सतपाल कानि से डिजिटल वायस रिकार्डर को कार्यालय के लैपटाप से कनेक्ट करवाकर साफटवेयर की मदद से लैपटाप के इनबिल्ड स्पीकर से सुन सुन कर समझ समझ कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। इस वार्ता के दो डब/ कापी मेमोरी कार्ड तैयार किये जाकर खुली हालात मे रखा गया। वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैलयु निकालकर फर्द मे अंकित की गई। वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड रिकार्डर मे से निकालकर प्लास्टिक की डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे शील मोहर किया गया थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इस रिकार्डिंग वार्ता मे रिकार्ड आवाज की पहचान परिवादी श्री कमलेश ने एक आवाज स्वयं की व दुसरी आवाज आरोपी श्री पदाराम सहायक उप निरीक्षक की होना बताया तथा अन्य आवाजें परिवादी के पक्ष् के गवाहों की होना बताया। समय- 02-30 एएम पर इस कार्यवाही से संबंधित जब्त किये गये वजह सबूत के पैकेट व शीशियों को शील्ड करने मे प्रयोग मे ली गई पीतल की सील का नमूना फर्द प्रथक से तैयार कर शामिल की गई। समय- 03-00 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से संपूर्ण कार्यवाही संपादित होने के पश्चात परिवादी श्री कमलेश कुमार को अपनी मकूनत के लिए रवाना किया गया। समय- 03-30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही संपादित की जा चुकी है मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाह व गिरफतार शुदा आरोपी श्री पदाराम सहायक उप निरीक्षक व ट्रेप कार्यवाही से संबंधित मुताबिक फर्दात के जब्त शुदा समस्त वजह सबूत एवं कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात व ट्रेप कार्यवाही से संबंधित हमराह लायी गई आवश्यक सामग्री व उपकरण सहित हमराह वाहनों से बाली डाक बंगला से कार्यालय हाजा पाली के लिए रवाना हुआ। समय- 05-20 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा के हमराहयान एवं उपरोक्त फिकरा के मालखाना वजह सबूत सहित ब्यूरो कार्यालय पाली पहुंचा तथा गिरफतारशुदा आरोपी को सुरक्षा के मघ्यनजर पुलिस थाना कोतववाली की हवालात मे जमा करवाने के लिए श्री गोविंद वर्मा एएसआई श्री प्रमोद सिह कानि व श्री पुनाराम कानि को थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली के नाम तहरीर देकर पुलिस थाना कोतवाली पाली के लिए रवाना किया गया। इस कार्यवाही से संबंधित जब्त शुदा छ धोवन की शीशियां रिश्वतराशि पैकेट श्वित राशि बरामदगी स्थल पेंट का पैकेट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व लेन देन मूल वार्ता का एक एक पैकेट व दो दो खुली हालात मे मेमोरी कार्ड कार्यवाही की विडीयोग्राफी के मूल मेमोरी कार्ड का पैकेट मालखाना प्रभारी श्री भवानी सिह हैड कानि को सुपुर्द कर शील्ड शुदा समस्त आईटम जमा मालखाना करवाया जाकर मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को रूखसत कर कार्यालय हाजा के ब्यूरो स्टाफ को भी रात्री विश्राम के लिए रूखसत किया गया। उपरोक्त तथ्यों से आरोपी श्री पदाराम सहायक उप निरीक्षक प्रभारी पुलिस चौकी लाटाडा पुलिस थाना सादडी जिला पाली द्वारा परिवादी श्री कमलेश चौधरी व उसके पक्ष के व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज् प्रकरण संख्या 78/2025 मे एफआर लगाने व मदद करने की एवज मे रिश्वत राशि की मांग की गई जिसके क्रम मे रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी के विरूदध दर्ज प्रकरण मे एफआर लगाने व मदद करने की एवज मे रिश्वत राशि मांग करना पाया गया तत्पश्चात रिश्वत राशि मांग के अनुसरण मे दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री पदाराम द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहनी हुई वर्दी की पेंट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखी जहां से रिश्वत राशि बरामद होने से आरोपी का उक्त कृत्य अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध घटीत करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री पदाराम पुत्र श्री नंदाराम जाति मीणा उम्र 57 साल निवासी गांव बलाना पुलिस थाना तखतगढ जिला पाली हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस प्रभारी पुलिस चौकी लाटाडा पुलिस थाना सादडी जिला पाली के विरूदध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (खींव सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री खींव सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पदाराम पुत्र श्री नंदाराम जाति मीणा उम्र 57 साल निवासी गांव बलाना पुलिस थाना तखतगढ जिला पाली राज हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी लाटाडा, पुलिस थाना सादडी जिला पाली राज के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 393 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 714-17 दिनांक 21.05.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2. -पुलिस अधीक्षक जिला पाली 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DHARMENDRA DUKIYA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/05/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/01/1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)